संख्या-15/2018/517/12-5-2018-ब०-01/2018

प्रेषक,

ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ:: दिनांक:: 13 अप्रैल, 2018**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक अनुमान के सापेक्ष अनुदान संख्या-11 में कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-बी०ए०(1)02/वित्तीय स्वीकृति 2018-19, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिये अनुदान संख्या-11 में कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के व्यय को वहन करने हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 99681.17 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 99681.17 लाख मात्र को निम्नानुसार योजनावार/मदवार आपके निर्वतन पर रखकर अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्षक		**प्राविधान 2018-19**	**स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि**
2401-फसल कृषि कर्म	मतदेय	72890.11	72890.11
	भारित	20.00	20.00
2402-मृदा तथा जल संरक्षण	मतदेय	26005.13	26005.13
	भारित	0.00	0.00
2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा		765.93	765.93
कुल योग	मतदेय	99661.17	99661.17
	भारित	20.00	20.00
महायोग		**99681.17**	**99681.17**

(रूपये नौ अरब छियानबे करोड़ इक्यासी लाख सत्रह हजार मात्र)

2- उक्त अनुदान की धनराशि पर अनुदान नियमावली के समस्त नियम लागू होंगे तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय 16ए के नियम इस अनुदान पर लागू होंगे तथा इस संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत राजाज्ञा संख्या-1238/10-15(1)/63, दिनांक 17.01.79 में उल्लिखित निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-ए-2364/दस-15(1)/63, दिनांक 17.01.79 में अनुलग्नित नियमावली का भी परिपालन किया जायेगा।

3- उक्त जारी स्वीकृति के सापेक्ष एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय बल्कि आवश्यकतानुसार धनराशि को कोषागार से आहरण फैंजिग के आधार पर सुनिश्चित की जाय। जहॉ तक संभव हो व्यय की फैंजिग वित्तीय वर्ष के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- व्यय प्रतिनिधानित अधिकारों की सीमा के अधीन ही किया जायेगा तथा जहॉ कहीं भी शासन की स्वीकृति व्यय हेतु आवश्यक हो उसे यथासमय प्राप्त कर लिया जाय और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय को सीमित रखा जाये।

5- समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/निर्देशों तथा व्यय बचत आयोग की संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

6- कृषि विश्वविद्यालय हेतु व्यवस्थित धनराशि उनको आवंटित की जाय तथा अनुदान का देयक जो कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बनाया जायेगा, वह कुलपति और अर्थ नियंत्रक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होगा। इस देयक पर संबंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। कृषि विश्वविद्यालयों के लिए कुलपति अनुदान की धनराशि को आहरण के उपरान्त कृषि निदेशक को सूचित करेंगे।

7- बी०एम०-13 के निर्धारित प्रपत्र पर मासिक व्यय विवरण समय से वित्त विभाग को उपलब्ध कराते हुए उसकी तीन प्रतियां शासन के कृषि अनुभाग-5 को उपलब्ध कराया जाय।

8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह आदेश उक्त शासनादेशों में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी
विशेष सचिव।

<u>संख्या-15/2018/517(1)/12-5-2018, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।
6. कुलपति, संबंधित कृषि विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।
7. संबंधित जिलाधिकारी द्वारा कृषि निदेशक उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, कृषि अनुभाग-2/3 एवं कृषि शिक्षा अनुसंधान अनुभाग।
10. वेब मास्टर, कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेशों को विभागीय/शासन की वेबसाइट पर इसे प्रदर्शित करें।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in